मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

14 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रवि विजयकुमार मलिमथ को सांदीपनि सभागार राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 16 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश सहित कई अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की थी, जिनमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने की सिफारिश शामिल थी।
- 25 मई, 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति मलिमथ ने 28 जनवरी, 1987 को कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। इन्होंने बतौर अधिवक्ता संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, श्रम और सेवा मामलों में महारत हासिल की। इन्हें 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इन्होंने 5 मार्च, 2020 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। 28 जुलाई, 2020 को इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर 7 जनवरी, 2021 को कार्यभार संभाला तथा 28 जून, 2021 को इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-justice-of-madhya-pradesh-high-court